न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चितौडगढ़

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–83/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. श्री कैलाशचन्द लसोड़ पुत्र निर्मलकुमार लसोड़, जाति लसोड़, उम्र बालिग, निवासी तहसील सिंगोली, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।
2. श्री चन्द्र प्रकाश स्वर्णकार पुत्र मदनलाल स्वर्णकार, जाति स्वर्णकार, उम्र बालिग, निवासी तहसील सिंगोली, जिला नीमच, मध्यप्रदेश। ....प्रार्थीगण

विरूद्व

श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :– अर्जुन सिंह चुण्डावत

अप्रार्थी की ओर से :– पेरोकार सरकार।

दिनांकः– 26.11.2024

–ःआदेशः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा बालेछा प0ह0 मेघनिवास, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 126 खसरा संख्या 27, 313/208, 315/29 कुल किता 03, कुल रकबा 0.7300 है0, कुल लगानी 1.3600 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 27, 313/208, 315/29 के पडौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर हकाई, जुताई करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा बालेछा प0ह0 मेघनिवास, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 126 खसरा संख्या 27, 313/208, 315/29 कुल किता 03, कुल रकबा 0.7300 है0, कुल लगानी 1.3600 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोवस्ती नक्शे अनुसार विना कब्जे में दखल दिये नपती [illegible] सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई [illegible] हो [illegible] पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 यौम में इस कार्यालय [illegible] जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से [illegible] जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जारी दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:33 IST
Reason: SelfAttested